



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245684
CG-DL-E-04052023-245684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1990]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1990]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2078(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के अरियालुर जिले में NH45C के कि.मी. 80/400 से कि.मी.100/000 (अरियालुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डीआरओ, एन०एच०४५सी, अरियालूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के अरियालुर जिले में NH45C के कि.मी. 80/400 से कि.मी.100/000 (अरियालुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: अरियालुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: उदयार्पलायम					
गांव का नाम: वेबुकुडी					
1	141/3D1A	निजी(वेट)	वेट	71.0000000(वर्ग मीटर)	0.0071000
2	141/3D1B	निजी(वेट)	वेट	68.0000000(वर्ग मीटर)	0.0068000
3	141/3D1C	निजी(वेट)	वेट	76.0000000(वर्ग मीटर)	0.0076000
4	141/3D1D	निजी(वेट)	वेट	89.0000000(वर्ग मीटर)	0.0089000
5	141/3E1A	निजी(वेट)	वेट	96.0000000(वर्ग मीटर)	0.0096000
6	141/3E1B1	निजी(वेट)	वेट	114.0000000(वर्ग मीटर)	0.0114000
7	141/3E1B2	निजी(वेट)	वेट	278.0000000(वर्ग मीटर)	0.0278000
8	164/2A	निजी(वेट)	वेट	86.0000000(वर्ग मीटर)	0.0086000
कुल				878.0000	0.0878

[फा. सं. NHAI-HQ/11013/01/2011-LA/Notif/PIU-Thanjavur/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2078(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH45C in the stretch of land from

Km 80/400 to Km 100/000 (Vikravandi-Kumbakonam-Thanjavur Section) in the district of Ariyalur in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within (21) twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DRO NH45C Ariyalur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Within the stretch of land from Km 80/400 to Km 100/000 (Vikravandi-Kumbakonam-Thanjavur Section) of NH45C in the district of Ariyalur in the State of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU		District: Ariyalur			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Udayarpalayam					
Village: Vembukudi					
1	141/3D1A	Private(Wet)	Wet	71.0000000(Square Meter)	0.0071000
2	141/3D1B	Private(Wet)	Wet	68.0000000(Square Meter)	0.0068000
3	141/3D1C	Private(Wet)	Wet	76.0000000(Square Meter)	0.0076000
4	141/3D1D	Private(Wet)	Wet	89.0000000(Square Meter)	0.0089000
5	141/3E1A	Private(Wet)	Wet	96.0000000(Square Meter)	0.0096000
6	141/3E1B1	Private(Wet)	Wet	114.0000000(Square Meter)	0.0114000
7	141/3E1B2	Private(Wet)	Wet	278.0000000(Square Meter)	0.0278000
8	164/2A	Private(Wet)	Wet	86.0000000(Square Meter)	0.0086000
Total				878.0000	0.0878

[F. No. NHAI-HQ/11013/01/2011-LA/Notif/PIU-Thanjavur/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.